E-mail: director@cbseacademic.in
Website: www.cbseacademic.in

Tel: 011-23212603
23211576
Tele Fax: 011-23234324

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

शिक्षा सदन, 17, इन्स्टिट्यूशनल क्षेत्र, राउज एवेन्यु, दिल्ली–110002.

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organization under the Union Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)

"Shiksha Sadan", 17, Institutional Area, Rouse Avenue, Delhi-110002

CBSE/PSA /Dir/(Art & I)/2013/ **दिनांकः 29 मई, 2013**

परिपत्र संख्या–Acad. 35/2013

बोर्ड से संबद्ध सभी
विद्यालयों के प्रमुख

विषयः शैक्षणिक सत्र 2013–14 में कक्षा IX एवं XI के
''समस्या समाधान आकलन'' (PSA) का संचालन

प्रिय प्रधानाचार्य,

विद्यार्थियों की प्रदत्त जीवन परिस्थितियों का विश्लेषण करने, लिखित पाठ्य को समझने एवं उसका प्रस्तुतीकरण करने एवं आवश्यक उच्च स्तरीय कौशलों जैसी क्षमताओं का आकलन करने के उद्देश्य से बोर्ड ने 16 फरवरी, 2013 को अपने प्रथम ''समस्या समाधान आकलन'' (PSA) का संचालन किया था। बोर्ड के इस पहल को सभी हितधारकों ने व्यापक रूप से स्वीकार किया एवं इसकी सराहना की।

शैक्षणिक सत्र 2013–14 के लिए कक्षा IX एवं XI के लिए समरूप समस्या समाधान आकलन परीक्षा 10 जनवरी, 2014 को संचालित की जाएगी। उस परीक्षा की प्रमुख विशेषताएँ निम्न होंगी :

- यह कक्षा IX एवं IX के समस्त विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य होगी।
- इसमें कुल 60 अंको के बहुवैकल्पिक प्रकार के 60 प्रश्न होगे।
- यह परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी।
- इस परीक्षा के लिए कोई विशिष्ट पाठ्यक्रम नहीं है। यह जीवन कौशलों से संबंधित निम्नांकित तत्त्वों का आकलन करेगा :
  - भाषीय आचार
  - गुणात्मक व्यवहार
  - परिमाणात्मक तर्कशक्ति
- प्रश्नों में 21 वीं सदी के कौशलों जैसे रचनात्मक चिंतन, निर्णय क्षमता, समीक्षात्मक चिंतन, समस्या आकलन एवं संप्रषण कौशल के आकलन का समावेश होगा जो उच्च शिक्षा के साथ–साथ उनके वास्तविक जीवन परिस्थितियों मे भी अधिकाधिक सफलता प्रदान करेगा। ये प्रश्न विद्यार्थियों के केवल पूर्व विषय–ज्ञान का आकलन करने की अपेक्षा उनकी जानकारियों को संसाधित, व्याख्या एवं उपयोग करने की योग्यता का आकलन करेंगी।

- भाषा के आकलन में वे प्रश्न सम्मिलित होंगे जो संदर्भ एवं अनुच्छेद–सम्पूर्ति में व्याकरण, प्रयुक्ति एवं शब्दावली का आकलन करेंगी।
- ये प्रश्न अँग्रेजी के साथ–साथ हिन्दी में भी बनाए जाएँगे।
- PSA का प्राप्तांक FA4 के स्थान पर गिने जाएँगे जो कि कक्षा IX के कुल आकलन का 10% है। ये प्राप्तांक समान रूप से एक भाषा (हिन्दी या अँग्रेजी), गणित, विज्ञान एवं समाजिक– विज्ञान में समान दर्शाया जाएगा। कक्षा XI के विद्यार्थियों को इसके लिए अलग प्रमाणपत्र दिया जाएगा।
- कक्षा X एवं XII के समस्त विद्यार्थियों (जो कक्षा IX एवं XI में पढ़ते हुए पिछले सत्र के दौरान PSA में सम्मिलित हुए थे) जो PSA के प्राप्तांको में सुधार करना चाहते हैं, उन्हें इसकी अनुमति है। इससे संबंधित जानकारी 2014 की वार्षिक परीक्षा के लिए जमा की जाने वाली उम्मीदवारों की सूची के साथ स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जा सकती है।
- PSA में उपस्थित होने के लिए अलग से कोई पंजीकरण नहीं होगा।

अन्य किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने पर विद्यालय,, निदेशक (ART&I) डॉ॰ साधना पराशर से sadhnap.cbse@nic.in पर या श्री आर॰ पी॰ शर्मा से science.cbse@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं।

आपसे सभी संबंधितों तक इस जानकारी को प्रसारित करने का आग्रह किया जाता है।

शुभकामनाओं सहित

डॉ॰ साधना पराषर
प्रोफेसर एवं निदेषक (षैक्षणिक, अनुसंधान, प्रषिक्षण एवं नवाचार)

निवेदन के साथ, सभी निदेशालयों, संगठनों और संस्थानों के प्रमुखों को, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालयों को सूचना देने के लिए प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18–इन्स्टिट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली – 110016.
2. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, ए-28, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली.
3. शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, नई दिल्ली.–110054
4. निदेशक, सार्वजनिक निर्देश (विद्यालय), केन्द्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर–9, चंडीगढ़–160017.
5. शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम–737101
6. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, अरूणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर–791111.
7. शिक्षा निदेशक, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर–744101.
8. राज्य शिक्षा संस्थान, के॰मा॰शि॰बो॰ कक्ष वी॰आई॰पी॰ मार्ग, जंगली घाट, पी॰ओ॰–744103, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह।
9. केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, एस॰एस॰ प्लाज़ा, सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर–3, रोहिणी, दिल्ली–110085.

10. शिक्षा अधिकारी / सह–शिक्षा अधिकारी, शैक्षणिक विभाग, के॰मा॰शि॰बो॰
11. अनुसंधान अधिकारी (तकनीकी) को इस परिपत्र को के॰मा॰शि॰बो॰ की वेबसाइट पर डालने के अनुरोध के साथ।
12. पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी, के॰मा॰शि॰बो॰
13. अध्यक्ष, के॰मा॰शि॰बो॰ के कार्यकारी सचिव
14. सचिव, के॰मा॰शि॰बो॰ के डेस्क अधिकारी / निजी सहायक
15. परीक्षा नियंत्रक, के॰मा॰शि॰बो॰ के निजी सहायक
16. निदेशक (शैक्षणिक) के॰मा॰शि॰बो॰ के निजी सहायक
17. संयुक्त सचिव, (संयुक्त प्रवेश परीक्षा), के निजी सहायक
18. विभाग अध्यक्ष, (एडुसैट) के निजी सहायक
19. जन संपर्क अधिकारी के॰मा॰शि॰बो॰, के निजी सहायक
20. के॰मा॰शि॰बो॰ के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को अपने–अपने क्षेत्र के सभी संबद्ध विद्यालयों के प्रमुखों को भिजवा दें।

प्रोफेसर एवं निदेषक (षैक्षणिक, अनुसंधान, प्रषिक्षण एवं नवाचार)